

सं. 06-449/सीओएनएस

संयुक्त राज्य अमेरिका का दूतावास विदेश मंत्रालय की सराहना करता है और संयुक्त राज्य अमेरिका के किसी ऐसे व्यक्ति को प्रक्रिया की सेवा के लिए देय शुल्क के बारे में जानकारी प्रदान करना चाहता है जो भारतीय न्यायिक कार्यवाही में एक पक्षकार के रूप में है।

4 जून, 2003 के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के सर्कुलर डिप्लोमैटिक नोट (जिसकी एक प्रति यहां शामिल है) के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका ने वाशिंगटन में सभी विदेशी मिशनों को यह सूचना दी है कि उसने जून, 2003 से एक निजी फर्म प्रोसेस फॉरवर्डिंग इंटरनेशनल (पीएफआई) की सेवाओं का उपयोग करना शुरू कर दिया है जो संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से सेवा के लिए अनुरोध प्राप्त करने, दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया और सेवा के प्रमाणपत्र को तैयार करने का कार्य करता है। यह भी सूचित किया गया है कि इस निजी फर्म के उपयोग से होने वाली लागतों को कवर करने के लिए एक शुल्क होगा। यह परिवर्तन सिविल और वाणिज्यिक मामलों में न्यायिक और न्यायेतर दस्तावेजों की सेवा पर हेग कन्वेंशन के पक्षकार देशों और अनुरोध पत्र और अतिरिक्त प्रोटोकॉल पर इंटर-अमेरिकन कन्वेंशन के साथ-साथ उन देशों पर लागू होता है जो प्रक्रिया की सेवा पर बहुपक्षीय संधि के पक्षकार नहीं हैं। प्रक्रिया की सेवा के लिए अनुरोध सीधे पीएफआई को भेजे जाने चाहिए।

वर्तमान अनुबंध के तहत, पीएफआई संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके क्षेत्रों में सेवा की प्रक्रिया के लिए 93 अमेरिकी डॉलर की एक समान दर लेता है। 1 जून 2006 से, यह शुल्क बढ़कर यूएस \$ 95 हो जाएगा। अपेक्षित शुल्क का भुगतान प्रक्रिया की सेवा के अनुरोध के समय किया जाना चाहिए या इस शुल्क की आवश्यकता के अनुपालन के लिए अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

इस नीति के बारे में और अधिक जानकारी तथा प्रक्रिया की सेवा के लिए अंतरराष्ट्रीय अनुरोधों को कार्यान्वित करने के लिए किसी निजी संविदाकार के संयुक्त राज्य द्वारा उसका उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हेग में प्रस्तुत दस्तावेजों और <http://hcch.e-vision.nl> पर देखा जा सकता है। तीसरे पक्षकार के रोजगार से होने वाली लागतों को कवर करने के लिए इस तरह के शुल्क के आकलन के औचित्य पर अक्टूबर नवंबर 2003 के विशेष आयोग की सिफारिशों और निष्कर्षों में चर्चा की गई जो हेग में प्रस्तुत किए गए थे और उसे उक्त वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

वेबसाइट

यहां दी गई जानकारी निजी पक्षकारों से जुड़े न्यायिक मामलों से संबंधित है। न्यायिक मामलों के संबंध में जिसमें एक पक्षकार भारत सरकार है वहां प्रक्रिया शुल्क की कोई सेवा लागू नहीं होती है।

यह दूतावास मंत्रालय को यह भी स्मरण कराना चाहता है कि यू.एस. सरकार भारत सरकार द्वारा नागरिक मामलों में न्यायिक सहायता के किसी भी अनुरोध के संबंध में पारस्परिकता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करती है।

संयुक्त राज्य अमेरिका का दूतावास विदेश मंत्रालय को अपने उच्चतम विचार के आश्वासन को नवीनीकृत करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका का दूतावास

नई दिल्ली, 25 मई, 2006

सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मिशन के प्रमुखों, महामहिमों, मेसीयर्स और मेसडैम्स के प्रति अपनी प्रशंसा प्रस्तुत करते हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार द्वारा ऐसे अधिकरणों के समक्ष विदेशी अधिकरणों और वादियों को न्यायिक सहायता प्रदान करने के तरीके में कुछ परिवर्तनों के बारे में उन्हें सूचित करता है।

फरवरी 3, 1975 के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के सर्कुलर के डिप्लोमैटिक नोट में बताया गया है कि कैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में निष्पादन के लिए प्रक्रिया की सेवा और साक्ष्य की अनिवार्यता के लिए विदेशी अधिकरणों से अनुरोध तैयार किया जाना चाहिए। इस सर्कुलर के डिप्लोमैटिक नोट का उद्देश्य उन बदलावों की सूचना देना है जो यह बताता है कि यूनाइटेड राज्यों में विदेशी अधिकरणों से प्राप्त सिविल और वाणिज्यिक मामलों में प्रक्रिया की सेवा के अनुरोधों का संचालन कैसे किया जाए। यह परिवर्तन सिविल और वाणिज्यिक मामलों में न्यायिक और न्यायेतर दस्तावेजों की सेवा पर हेग कन्वेंशन के पक्षकार देशों तथा अनुरोध पत्र और अतिरिक्त प्रोटोकॉल पर इंटर-अमेरिकन कन्वेंशन के साथ उन देशों को भी प्रभावित करेगा जो प्रक्रिया की सेवा पर बहुपक्षीय संधि के पक्षकार नहीं हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग ने राज्य विभाग को सूचित किया है कि वह वाशिंगटन राज्य में एक निजी संविदाकार, प्रोसेस फॉरवर्डिंग इंटरनेशनल ऑफ सिएटल को प्रक्रिया कार्य की सेवा सौंप रहा है। यह प्रक्रियात्मक परिवर्तन या तो हेग सर्विस कन्वेंशन या अनुरोध पत्र पर इंटर-अमेरिका कन्वेंशन के लिए एक नए केंद्रीय प्राधिकरण के औपचारिक पदनाम को अंतर्निहित करता है, लेकिन साधारणतया केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा संचालित कुछ गतिविधियों की आउटसोर्सिंग को प्रतिबिम्बित करता है, जो औपचारिक रूप से अमेरिकी न्याय विभाग है।

प्रोसेस फॉरवर्डिंग इंटरनेशनल एकमात्र निजी प्रोसेस सर्वर कंपनी होगी जो संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से सेवा के लिए अनुरोध प्राप्त करने, दस्तावेजों की सेवा के लिए आगे बढ़ने और सेवा के प्रमाण पत्र को पूरा करने के लिए अधिकृत है। प्रोसेस फॉरवर्डिंग इंटरनेशनल निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रक्रिया की सेवा के अनुरोधों को निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार होगा: संयुक्त राज्य अमेरिका (पचास राज्य और

कोलंबिया जिला), गुआम, अमेरिकी समोआ, प्यूर्टो रिको, यूएस वर्जिन द्वीप समूह और उत्तरी राष्ट्रमंडल मारियाना द्वीप समूह।

व्यक्तिगत सेवा सभी अनुरोधों पर उपयोग की जाने वाली पसंदीदा विधि होगी। यदि व्यक्तिगत सेवा को प्रभावित करना असंभव है, तो प्रोसेस फॉरवर्डिंग इंटरनेशनल ऐसी अन्य विधि या विधियों द्वारा प्रक्रिया को पूरा करेगा जैसा कि अधिकार क्षेत्र के कानून के तहत अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा, प्रोसेस फॉरवर्डिंग इंटरनेशनल को प्राप्त के छह सप्ताह के भीतर विदेशी अनुरोधकर्ता प्राधिकारी को वापस करने के लिए दस्तावेजों की सेवा पूरी करनी होती है।

1 जून 2003 से, प्रक्रिया की सेवा के लिए अनुरोध प्रोसेस फॉरवर्डिंग इंटरनेशनल, 910 5th एवेन्यू, सिटल वाशिंगटन, 98104 यूएसए, टेलीफोन: (206) 521-2979; फैक्स: 206-224-3419; ईमेल: info@hagueservice.net ; वेबसाइट: <http://www.hagueservice.net> को प्रेषित किए जाने चाहिए। सेवा के अनुरोधों को उपयुक्त अनुवाद के साथ दो प्रतियों में प्रेषित किया जाना चाहिए (एक सेट को प्रस्तुत किया जाएगा और दूसरा सेवा के प्रमाण पत्र के साथ प्रोसेस फॉरवर्डिंग इंटरनेशनल द्वारा वापस लौटाया जाएगा)। सेवा देने वाले व्यक्ति या संस्था का पूरा नाम और पता अवश्य शामिल किया जाना चाहिए।

किसी भी विदेशी संस्था से प्रक्रिया अनुरोधों की सेवा के लिए शुल्क होगा, जिसमें हेग के पक्षकार देश और ऐसे देश भी शामिल हैं जो प्रक्रिया की सेवा पर किसी भी बहुपक्षीय संधि के पक्षकार नहीं हैं। इंटर अमेरिकन कन्वेंशन ऑन लेटर्स रोगेटरी एंड एडिशनल प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनुरोधों के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने कन्वेंशन में प्रवेश पर नो-फीस सेवाओं के लिए सहमति व्यक्त की है। प्रक्रिया की सेवा पर हेग सर्विस कन्वेंशन के अंतर्गत अनुरोधों और ऐसे देश से प्राप्त अनुरोधों जो किसी भी संधि के पक्षकार नहीं हैं के लिए सेवा शुल्क:

2003 – व्यक्तिगत सेवा या मेल द्वारा सेवा \$ 89.00

2004 - व्यक्तिगत सेवा या मेल द्वारा सेवा \$91.00

2005 - व्यक्तिगत सेवा या मेल द्वारा सेवा \$ 93.00

2006-2007 - व्यक्तिगत सेवा या मेल द्वारा सेवा \$95.00

फीस का भुगतान वीज़ा, मास्टरकार्ड , अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड, बैंक हस्तांतरण, अंतर्राष्ट्रीय मनी ऑर्डर और सरकार द्वारा जारी चेक द्वारा किया जा सकता है जो प्रोसेस फॉरवर्डिंग इंटरनेशनल को देय है। व्यक्तिगत चेक को स्वीकार नहीं किया जाता है। सभी सेवा अनुरोधों को भुगतान अनुसूची और वर्णित भुगतान विधि का पालन

करना चाहिए। बताए गए मामले में उचित भुगतान न होने पर सभी सेवा अनुरोध बिना संसाधित किए वापस कर दिए जाएंगे। प्रोसेस फॉरवर्डिंग इंटरनेशनल की वेबसाइट भुगतान के तरीकों पर विशिष्ट मार्गदर्शन प्रदान करती है। वेबसाइट पर सेवा अनुरोध की स्थिति की जांच करना भी संभव होगा।

नई व्यवस्था के प्रभावी होने की तारीख से तीस दिन पहले संयुक्त राज्य द्वारा प्राप्त अनुरोधों को निःशुल्क सेवा के लिए प्रोसेस फॉरवर्डिंग इंटरनेशनल को अग्रेषित किया जाएगा। प्रभावी तिथि से पहले प्राप्त सेवा के सभी लंबित अनुरोधों को अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा संसाधित किया जाना जारी रहेगा। 1 जून 2003 को या उसके बाद प्राप्त अनुरोधों को प्रोसेस फॉरवर्डिंग इंटरनेशनल को भेजा जाएगा, जहाँ उन्हें नई शुल्क आवश्यकता का अनुपालन न करने के लिए अस्वीकार किया जा सकता है।

दस्तावेजों की सेवा पर हेग या इंटर-अमेरिकन कन्वेंशन के पक्ष नहीं होने वाले देश राजनयिक चैनल के माध्यम से सेवा के लिए अनुरोध भेजना जारी रख सकते हैं, लेकिन उनके साथ ऊपर उल्लिखित शुल्क होना चाहिए। इन अनुरोधों को आगे की कार्रवाई के लिए प्रोसेस फॉरवर्डिंग इंटरनेशनल को भेजा जाएगा। हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि राजनयिक चैनल का उपयोग अनिवार्य नहीं है, और जो देश इन सेवा सम्मेलनों के पक्षकार नहीं हैं, वे अपने अनुरोध भेज सकते हैं और सीधे प्रोसेस फॉरवर्डिंग इंटरनेशनल से अपना सेवा प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ॥ न्याय विभाग द्वारा पूर्व में प्रदान की गई इन गतिविधियों की आउटसोर्सिंग की दक्षता में वृद्धि करेगी। इसलिए राज्य विभाग सभी देशों को नियमित मामलों के लिए राजनयिक चैनल के उपयोग से बचने और नई प्रक्रियाओं का सीधे लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है।

राज्य के सचिव ने कहा है कि अमेरिकी संघीय कानून के अंतर्गत न्यायिक सहायता के अनुरोधों को निष्पादन हेतु राज्य विभाग या न्याय विभाग के संविदाकारों को भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राजनयिक या कांसुलर मिशन के सदस्यों द्वारा मेल के माध्यम से या निजी व्यक्तियों द्वारा ऐसे दस्तावेजों के अनौपचारिक वितरण पर संयुक्त राज्य को कोई आपत्ति नहीं है, यदि यह लागू कानून के तहत प्रभावी होगा, बशर्ते कि कोई बाध्यता का उपयोग न किया गया हो।

राज्य का विभाग,

वाशिंगटन,

4 जून 2003